नम्बर व तारीख अहलकार जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 74/2020/ 136 एलआरएक्ट

1. शिवभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी शेषमा की ढाणी (भीमा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

–प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार (भूमिधारी) जरिये : तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

– अप्रार्थी

आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति–

1. श्री शिवपालसिंह वकील प्रार्थी की ओर सें।

नि र्ण य **दिनांक – 18.11.2020**

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 1.68 है0 वाके ग्राम भीमा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर के तन में अवस्थित रही है। उपरोक्त भूमियों कें राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से आवेदक का नाम शिवभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट के स्थान पर श्योभगवान पुत्र टोडा राम जाति जाट सा0 शेषमा की ढाणी दर्ज कर दिया गया जबकि आवेदक का अन्य भूमियों खसरा नम्बर 1589/240 1590/240 238 239 किता 4 कुल रकबा 2.800 है0 वाके शेषमा की ढाणी आवेदक का नाम शिवभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट तथा भूमि खसरा नम्बर 242 रकबा 2.95 है0 वाके ग्राम शेषमा की ढाणी में आवेदक का नाम शिवभगवान पुत्र टोडा राम जाति जाट तथा भूमि खसरा नम्बर 266 267 किता 2 कुल रकबा 0.0300 है0 वाके ग्राम शेषमा की ढाणी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की भूमि में आवेदक का नाम शिवभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट सा0 देह दर्ज चला आ रहा है। तथा अन्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में भी आवेदक का नाम शिवभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी शेषमा की ढाणी (भीमा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर दर्ज चला आ रहा है इसलिए भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 1.6800 है0 वाके ग्राम भीमा तहसील दांतारामगढ की भूमि में आवेदक का नाम श्योभगवान पुत्र टोडाराम जाति जाट निवासी शेषमा की ढाणी (भीमा) तह0 दांतारामगढ जिला सीकर दुरूस्ती के आदेश प्रदान किया जाना उचित आवश्यक और न्याय संगत है! वादकारण पिछले करीब एक माह से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी एवं अधीनस्थ विभागों के यहा उक्त नाम की दुरूस्ती हेतु लगातार चक्कर लगाते रहने एवं अब उनके द्वारा रिकार्ड दुरूस्त करने से इन्कार होने पर उत्पन्न हुआ जो क्षण–प्रतिक्षण निरन्तर रूप से चालू है। अतः आवेदन पेश कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि आवेदन स्वीकार किया जाकर भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 1.68 है0 वाके ग्राम भीमा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम श्योभगवान पुत्र

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

टोडाराम के स्थान पर शिवभगवान पुत्र टोडाराम संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार दांतारामगढ से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील प्रार्थी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया गया कि आवेदक का नाम श्योभगवान पुत्र टोडाराम के स्थान पर शिवभगवान पुत्र टोडाराम संशोधित कर तदनुसार राजस्व रिकार्ड संशोधन के आदेश पारित किया जावें।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया तथा आवेदन में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट में अंकन किया गया है कि ग्राम भीमा प0ह0 भीमा के खसरा नम्बर 957 रकबा 1.68 है0 में प्रार्थी का नाम श्योभगवान पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/2 दर्ज है जबकि ग्राम शेषमा की ढाणी के खसरा नम्बर 1589/240 1590/240 238 239 किता 4 कुल रकबा 2.800 है0 में शिवभग्वान पुत्र टोडाराम हिस्सा 1/2 दर्ज है। मुताबिक पुछताछ व प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड के अनुसार प्रार्थी का शिवभवान पुत्र टोडाराम है। प्रार्थी का नाम शिवभगवान पुत्र टोडाराम किया जाना उचित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है। **आवेदन अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रिकार्ड दुरूस्ती स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा नम्बर 957 रकबा 1.68 है0 वाके ग्राम भीमा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदक का नाम श्योभगवान पुत्र टोडाराम के स्थान पर शिवभगवान पुत्र टोडाराम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। शेष जमाबंदी बदस्तूर रहे।** राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 18.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ